दो ट्रेलरों की टक्कर में चालक स्टेयरिंग में फंसा

दो ट्रेलरों में भिड़ंत के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त वाहन ● नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, टुंडरा-गिधौरी : राष्ट्रीय राजमार्ग-130बी पर ग्राम बरपाली में धान मंडी के पास गुरुवार शाम करीब चार बजे दो ट्रेलरों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रेलर का चालक कांती कुमार (निवासी ग्राम नुनेरा, कोरबा) स्टेयरिंग में फंस गया। ग्रामीणों ने रस्सी और दूसरे ट्रक की मदद से काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला।

गंभीर रूप से घायल चालक को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बलौदाबाजार रेफर कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर में ट्रेलर क्रमांक सीजी 15 ईएफ 7343 का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 9475 का चालक सुरक्षित है। सूचना पर पहुंची गिधौरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्षतिग्रस्त ट्रेलर हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई।

10 दोषियों की फांसी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुनवाई की तारीख तय नहीं

झीरम कांड ● एनआइए की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को सुनाई थी मृत्युदंड की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : वर्ष 2013 में बस्तर में हुए झीरम घाटी हत्याकांड में 10 दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि के लिए मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) की विशेष अदालत ने 16 सितंबर 2026 को सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब इस सजा की पुष्टि पर हाई कोर्ट को निर्णय लेना है। फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

झीरम कांड में करीब 13 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में कुल 11 आरोपित थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। बता दें कि इस हमले में कांग्रेस नेताओं सहित कुल 32 लोगों की हत्या की गई थी।

मृत्युदंड की पुष्टि आवश्यक : कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य होती है। इसी प्रक्रिया के तहत विशेष अदालत ने मामला हाई कोर्ट भेजा है। दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था।

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं का निपटारा

हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा संपत्ति कुर्की और कब्जा लेने की कार्रवाई के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण में 45 दिन के भीतर अपील करने का निर्देश दिया है। याचिकाएं सौम्या शर्मा, सुमन शर्मा और मेसर्स सौम्या ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई थीं।

एक वेतनवृद्धि की सजा बढ़ाकर बर्खास्त करने का आदेश निरस्त

हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग के दो कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने पाया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कर्मचारियों की सजा बढ़ाते समय न तो नियमों का पालन किया और न ही उनके द्वारा दिए गए जवाबों पर विचार किया। अदालत ने मामले को वापस सक्षम प्राधिकारी को भेजते हुए 60 दिनों के भीतर कानून के अनुसार नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है। प्रकरण बस्तर जिला निवासी जीवनंद हलदार और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी राजेंद्र कुमार सिंह से जुड़ा है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक वर्ष के लिए बिना संचयी प्रभाव के एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा सुनाई थी। हालांकि, विभागीय पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए बिना पर्याप्त कारण दर्ज किए और कर्मचारियों का पक्ष सुने बिना सजा को बढ़ाकर सीधे नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया था।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं : कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने इस संबंध में जारी किए गए दोनों पत्रों को निरस्त कर दिया है।

याचिकाकर्ता पवन मेश्राम के अनुसार, उनकी बुआ दुर्गा मेश्राम (सहायक ग्रेड-दो) की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने याचिकाकर्ता को गोद लिया था, जिसका पंजीकृत दत्तक विलेख 8 फरवरी 2019 को तैयार कराया गया था। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने के बजाय अधिकारियों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रख दी थी। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मुख्य रूप से ऋण आदि से संबंधित होता है। कोर्ट ने अधिकारियों को पंजीकृत दत्तक विलेख और अन्य दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

बस्तर के जंगलों में भटक रहे उप्र के युवक को पुलिस ने परिवार से मिलाया

नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर : रोजगार की तलाश में नोएडा गया उत्तर प्रदेश का युवक भटकते हुए नारायणपुर पहुंच गया। मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे युवक को पुलिस ने सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया और स्वजन से मिलाया। घटना गुरुवार की है। ओरछा थाना क्षेत्र के मंडोड़ा सुरक्षा कैंप के जवानों को युवक भटकता मिला था। पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के निर्देश पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बातचीत में सोनभद्र और रामगढ़ का जिक्र मिलने पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया। युवक की पहचान सुनील कुमार भारती के रूप में हुई। शुक्रवार को उसका छोटा भाई विकास नारायणपुर पहुंचा। उपचार के बाद उसके भाई के सुपुर्द कर दिया।

धोखाधड़ी मामले में जगदलपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सजा बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: करीब चार दशक पहले बेची गई जमीन को दोबारा बेचने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल की अदालत ने पटवारी समेत चार आरोपितों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी है। इनमें जगदलपुर के कारोबारी और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोहर लुनिया भी शामिल हैं। 16 अक्टूबर 2026 को पारित फैसले में न्यायालय ने दोनों दांडिक अपीलें खारिज कर दीं।

दोषी मनोहर लुनिया

प्रकरण के अनुसार, वंदिता पटनायक के पिता बी. राधाकृष्णन ने 27 अगस्त 1984 को जगदलपुर देहात के पटवारी हल्का नंबर 100 में खसरा नंबर 89/10 की 4,800 वर्गफीट जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी थी। नामांतरण और बटांकन के बाद जमीन का नया खसरा नंबर 89/41 हुआ और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज हो गया।

मई 2009 में वंदिता पति के साथ मकान बनवाने पहुंचीं तो वहां दूसरे लोग निर्माण करा रहे थे। सीमांकन में जमीन की दोबारा बिक्री का मामला सामने आया। वर्ष 2010 में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। विचारण न्यायालय ने 22 सितंबर 2018 को पटवारी नरेंद्र कुमार सोनी, मनोहर लुनिया, मूलचंद्र लुनिया और बीरचंद्र लुनिया को धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र में दोषी ठहराकर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने इसे यथावत रखा।

डाक सेवक भर्ती: 2012 की अंकसूची पर अभ्यर्थी अपात्र नहीं

● केंद्र सरकार की याचिका खारिज, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के मामले में केंद्र सरकार और डाक विभाग को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। युगलपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।

केंद्र सरकार और रायपुर के मुख्य डाकघर ने अधिकरण के 10 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। रायगढ़ जिले के मालदा-अ निवासी हेमचरण साहू ने बोर्ड आफ स्कूल एंड टेक्निकल एजुकेशन, छत्तीसगढ़ की अंकसूची और प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने 11 फरवरी 2015 को बोर्ड की मान्यता निलंबित की थी।

कोरबा में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : जर्जर सड़क और उड़ती धूल से परेशान लखनपुर सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह सुतर्रा-बांकीमोंगरा-कटघोरा बाईपास मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

सुबह नौ बजे शुरू हुए आंदोलन से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात प्रभावित होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की बदहाली और धूल से वे लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन एसईसीएल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहे। उन्होंने सड़क मरम्मत पर ठोस निर्णय और लिखित आश्वासन देने की मांग की।

● सजर्जर सड़क और धूल से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन

● सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार

बाईपास पर चक्काजाम करते ग्रामीण ● नईदुनिया

इधर सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्पष्ट पहल के बिना आंदोलन समाप्त करना मुश्किल है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा, जिला - दुर्ग

Fax - 0788-2962380 , E-mail - cmobhilaicharoda@gmail.com

क्र / 640 / न.पा.नि. / 2026-27 || ई-प्रोक्युरमेंट आक्शन सूचना || भिलाई चरौदा, दिनांक - 15.10.2026

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत निर्मित पालिका बाजार व्यावसायिक काम्प्लेक्स भिलाई 03 के दुकानों को किराया में दिये जाने हेतु आक्शन ऑनलाईन आमंत्रित किया जाता है।

क्र.	दुकान क्र.	किराया राशि प्रति माह	ऑक्शन क्र.	ऑक्शन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
1	भूतल - 24, 38, 41, 46, 49, 60, 61, 62	3500	201831, 201832, 201833, 201834, 201835, 201836, 201837, 201838	06-11-2026
2	प्रथम तल - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	3000	201839, 201841, 201842, 201843, 201844, 201845, 201846, 201847, 201848, 201849, 201850, 201851, 201852, 201853, 201854, 201855, 201856, 201857, 201858, 201860, 201861, 201862, 201863, 201864, 201865, 201866, 201867	06-11-2026

उपरोक्त कार्यों की ऑक्शन की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत व अन्य जानकारी ई-प्रोक्युरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। आक्शन शर्तों के तहत् दस्तावेज़ ऑनलाईन में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनाँक - 06.11.2026 समय - सायं 05:30 बजे तक निर्धारित है।

" जल ही जीवन है इसे व्यर्थ न बहायें "

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई चरौदा

सामाजिक बहिष्कार पर हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर होगा केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम गेरुघाट में इमली का पेड़ काटने के विवाद और उपजे सामाजिक बहिष्कार के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। महीनों तक स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित की गुहार पर हाई कोर्ट ने पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

पूरा मामला करन यादव (28) द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। प्रार्थी के अनुसार, जून 2026 में उसने अपने घर के पास स्थित इमली का पेड़ काट दिया था, जिस पर पंचायत ने उस पर अर्थदंड लगाया। दंड न चुकाने पर उसे और उसके परिवार को कथित तौर पर गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले में छुरिया थाना प्रभारी ने बताया कि जांच जारी है और सरपंच-ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सरपंच दलेश्वरी घावड़े ने बहिष्कार के आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि पंचायत ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था।

255 मतों से हार को चुनौती, आयोग पेश करेगा मूल दस्तावेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा चुनाव में 255 मतों से पराजित कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी गोमती साय के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने निर्वाचन आयोग को चार दिसंबर को मूल दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें कि 15 सितंबर 2025 को ईवीएम रखने से जवाहरलाल नेहरू आदर्श विद्यालय, डोरकाचौरा में पढ़ाई प्रभावित होने पर आयोग ने कक्ष को दीवार से अलग करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सूचना देकर प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्माण की अनुमति दी। हालांकि अदालत के आदेश के बावजूद केवल प्रयोगशाला और लाइब्रेरी ही खोली गई और अभी भी कक्षाएं छात्रावास में ही लग रही हैं। 26 फरवरी 2026 को रामपुकार सिंह ने पुनर्मतगणना के आवेदन और निर्वाचन अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतियां नहीं मिलने की शिकायत की।

कार्यालय, नगर पंचायत पुसौर जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/916/लो.क. शा./न.पं/2026-27 ।। ई-प्रोक्योरमेन्ट तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना ।। पुसौर दिनांक 14/10/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सि. नि. क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (लाख में)	समय सीमा (वर्षा ऋतु को छोड़कर)	Date of issue of Tender	Last Date of Online Submission for Technical & Financial Bid	Last Date for Submission of physical bid	Bid Open Date
1.	201 794	पुलिस थाना से बाजार चौक तक बीटी रोड निर्माण कार्य	51.14	0.39	1500.00	06 माह	14.10.2026 Time 8.30 PM	26.10.2026 Time 5.30 PM	27.10.2026 Time 5.00 PM	29.10.2026 Time 11.00 AM

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेन्ट वेब पोर्टल https ://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है एवं कार्यालयीन अवधि में कार्यालय आकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निविदा नियम शर्तों का अवलोकन ध्यान पूर्वक भली भांति किया जावे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत पुसौर

pnb पंजाब नैशनल बैंक

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 03.11.26 एवं 03.12.26

समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की विक्रय "जहाँ है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसूली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (लाख में)
1	उधारकर्ता - मेसर्स ईकवर केमिकल्स, कॉर्पोरेशन - श्री प्रकाश शर्मा पिता श्री सुरेंद्र नाथ शर्मा, शाखा - सुपेला, भिलाई 143510, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493	फैक्ट्री परिसर पर स्थित भूमि व भवन - खसरा नं 1106/4, प.ह नं 36, आरआईसी राजनांदगांव, मौजा - सकरी, तहसील/जिला - राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल - 0.053 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री प्रकाश शर्मा पिता श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा। सीमाएं: उत्तर - मूरम खदान, दक्षिण - सरकारी भूमि, पूर्व - धरसा, पश्चिम - विक्रेताओं की भूमि, भौगोलिक निर्देशांक - 21.1157057, 81.1935312	1) 02.05.2012 2) रू 78,72,029.00 + दिनांक 02.05.2012 से ब्याज प्रभावी 3) 05.07.12 को सांकेतिक कब्जा	रू 14.54 लाख रू 1.45 लाख
2	उधारकर्ता: मेसर्स डी ए इंटरप्राइजेज, प्रो.- श्री धीरज जादवानी, शाखा- स्टेशन रोड 106600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	कार्यालय नं -1) कार्यालय संख्या 221, खसरा नं 439/1 (भाग), क्षेत्रफल 300 वर्गफुट, लाल गंगा मेंशन, वार्ड संख्या 37, जवाहर नगर, आरएनएम- रायपुर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर पर स्थित संपत्ति. सीमाएं :- उत्तर-कोरिडोर, दक्षिण -रोड , पूर्व - कार्यालय संख्या -222, पश्चिम - कार्यालय संख्या 220, भौगोलिक निर्देशांक - 21.247357, 81.634051	1) 25-11-2021 2) रू 47,57,449.00 + दिनांक 01-11-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 30-08-22 को सांकेतिक कब्जा	रू 14.54 लाख रू 1.45 लाख
		कार्यालय नं -2) कार्यालय संख्या 18, खसरा नं 439 (भाग), क्षेत्र 205 वर्गफुट, लाल गंगा मेंशन, वार्ड संख्या 37, जवाहर नगर, रायपुर आरएनएम - रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर. सीमाएं :- उत्तर - कार्यालय नंबर 19, दक्षिण- कार्यालय नंबर -17, पूर्व-पैसेज, पश्चिम - आसमान की ओर खुला, भौगोलिक निर्देशांक - 21.247357, 81.634051 *नोट: एस.ए. क्रमांक 704/2023 एवं एम.ए. क्रमांक 52/2025 दोनों संपत्तियों के संबंध में लंबित हैं।		रू 11.50 लाख रू 1.15 लाख
3	उधारकर्ता- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री बीरेंद्र मोहन सिंह, सह-उधारकर्ता- श्री वीरेंद्र मोहन सिंह पिता स्व. शिवचंद्र प्रसाद सिंह, जमानतदार: श्री. तुलसीराम फरकुंडे पिता स्व. श्रीराम फरकुंडे एवं श्रीमती बेनु बाई फरकुंडे पति श्री तुलसीराम फरकुंडे, शाखा- देवेंद्र नगर, रायपुर (748400),संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कश्यप, 9770780508	आवासीय भूमि एवं भवन- खसरा नं 130/246 (540 वर्गफुट) एवं खसरानं 130/274 का भाग (400 वर्गफुट), प.ह. नं 107/37, साहू किराना स्टोर के पास, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, छोटा भवानी नगर, टीचर्स कॉलोनी, मौजा कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्र. 02, रायपुर, आरएनएम रायपुर-2, तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग.) में क्षेत्रफल - 940 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिक- श्रीमती डेजी सिंह पति श्री वीरेंद्र मोहन सीमाएँ:उत्तर: रवि दुबे की भूमि, दक्षिण: सड़क, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: तिवारी एवं विक्रेता की भूमि; भौगोलिक निर्देशांक: 21.262316,81.609207, *नोट: एस.ए. क्रमांक 94/2022 संपत्ति के संबंध में लंबित हैं।	1) 09-06-2021 2) रू 29,67,029.34 + दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) 21-10-21 को सांकेतिक कब्जा	रू 23.57 लाख रू 2.35 लाख
4	उधारकर्ताओं: 1) श्री दीपक शर्मा पिता सुरेश चन्द्र शर्मा, 2) श्रीमती प्रीति शर्मा पति श्री दीपक शर्मा, शाखा कार्यालय: देवेन्द्र नगर (748400), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606	आवासीय फ्लैट - फ्लैट नंबर 107, ब्लॉक ए, पहली मंजिल, "साई सिमरन अपार्टमेंट", खसरा नंबर 720/167, 1317/117, 720/149, 1317/138, 720/184, 317/117, 720/152, 1317/141, 720/173, 1317/161, 720/183, 1317/171, 1317/174, 720/16, 1317/11, 720/170, 1317/160 का भाग, मौजा: शंकर नगर, महर्षि वाल्मीकि वार्ड नंबर 28, रायपुर, तहसील/जिला: रायपुर, छ.ग में क्षेत्रफल - 670 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती प्रीति शर्मा पति श्री दीपक शर्मा। सीमाएं :- उत्तर - फ्लैट नंबर 108, दक्षिण - आसमान की ओर खुला, पूर्व - पैसेज/एंट्री , पश्चिम - आसमान की ओर खुला।	1) 01.10.2025 2) रू 21,69,746.00 + दिनांक 28.09.2025 से ब्याज प्रभावी 3) 12.12.25 को सांकेतिक कब्जा	रू 23.00 लाख रू 2.30 लाख
	संख्या क्रमांक 5 के लिए: ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026 एवं समय- सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक			
5	उधारकर्ता- श्रीमती शुशीला दुबे पति श्री प्रदुमन नारायण दुबे. शाखा कार्यालय: सिविक सेंटर, भिलाई (007600), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कश्यप, 9770780508	व्यावसायिक संपत्ति (दुकान) - खसरा नं 198/21 एवं 198/22, दुकान नंबर - बी-213 व बी-214, दूसरी मंजिल, महालक्ष्मी मार्केट, वार्ड नंबर 55, क्षेत्रफल - 341.00 वर्ग फुट, पुलगांव, बालोद रोड, दुर्ग, तहसील एवं जिला - दुर्ग (छ.ग) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती सुशीला दुबे पति श्री प्रद्युम्न नारायण दुबे। सीमाएं :- उत्तर - गलियारा, दक्षिण - अन्य की दुकान, पूर्व - लिफ्ट, पश्चिम - दुकान नंबर बी-212। भौगोलिक निर्देशांक :- अक्षांश 21°09'51.1" N, देशांतर 81°15'48.6" E	1) 12.06.2025 2) रू 38,54,951.70 + दिनांक 31.05.2025 से ब्याज प्रभावी 3) 04.10.25 को सांकेतिक कब्जा	रू 15.30 लाख रू 1.53 लाख

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : श्री रघुबंश नारायण सिंह- 8789388472 - एआरएमबी, रायपुर, दूरभाष क्र. - 0771-2210433/35

नोट:- 1) कृपया अमानत राशि जमा करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल सुनिश्चित करें
2) उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी. 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज़ ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमे 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को संख्या क्र. 1 से 14 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/11/2026 एवं संख्या क्र. 5 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026 व समय सुबह 11.00 बजे से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री संख्या क्र. 1 से 4 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/11/2026 एवं संख्या क्र. 5 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026, वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Chronicle दिनांक 17.10.2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

नोट:- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वंय बानाना हैं। जिसे बनाने में न्युनतम 2 दिन का समय लगता हं। अतः बोलीकर्ता से निवेदन हं कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना ले।

दिनांक: 17.10.2026, स्थान: रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय, स्टार हाऊस, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 48, सेक्टर-24, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ 492101

ई-नीलामी सूचना मेगा ऑक्शन अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) व 1 के अधीन अंचल संपति की बिक्री की सूचना

ई-नीलामी तिथि एवं समय : 26.11.2026, प्रातः 11.00 से सायं 5.00 तक

ई-नीलामी उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंक के अधिकृत अधिकार द्वारा नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों का कब्जा लिया गया था। अधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया, के निम्न शाखाओं के खातों की वसूली के लिये उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 अधीन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सार्वजनिक नीलामी द्वारा जैसा है जहाँ है एवं जिस अवस्था में है के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।

क्रं.	शाखा और उधारकर्ता/जमानतदार के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ई.एम.डी. (लाख में) / बोली बढोत्तरी (लाख में)	अ) मांग सूचना दिनांक ब) कब्जा दिनांक स) बकाया राशि (लाख में)
01	एआरबी (रायपुर) शाखा:- उधारकर्ता- मेसर्स माँ दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट, पार्टनर: - 1. श्रीमती उमा बाई अग्रवाल पति श्री संजय कुमार अग्रवाल, 2. श्री सुभाष अग्रवाल पिता श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, जमानतदार: - 1. श्री संजय कुमार अग्रवाल पिता श्री गोविंद राम अग्रवाल, 2. श्रीमती निशा अग्रवाल पति श्री सुभाष कुमार अग्रवाल, 3. श्री कैशिश अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल	i) आवासीय खुली भूमि - खसरा नंबर 109/1/K/3 (खसरा नंबर 109/1/K/1 का भाग), ग्राम- छतामुरा, प.ह नंबर 06, आरएनएम- छतामुरा, तहसील- पुसौर, जिला- रायगढ़ (छ.ग), कुल क्षेत्रफल- 0.044 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री सुभाष अग्रवाल पिता श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	I) ₹ 114.33 ₹ 11.43 ₹ 0.50	अ) 12.02.2025 ब) 16.05.2025 स) ₹ 1706.66 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
		ii) आवासीय खुली भूमि - खसरा नंबर 109/1/K/4 (खसरा नंबर 109/1/K/1 का भाग), ग्राम- छतामुरा, प.ह नंबर 06, आरएनएम- छतामुरा, तहसील- पुसौर, जिला- रायगढ़ (छ.ग), कुल क्षेत्रफल- 0.045 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती निशा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	ii) ₹ 116.95 ₹ 11.69 ₹ 0.50	
		iii) इंडस्ट्रियल भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 272/2k, 274/1, 274/2, 274/3, 279/1/th/1, 279/1/th/2, 279/1/d, 279/1/th/3, 285/5, 290/2, 290/3, 290/4, 304/1, प.ह नंबर 18, मौजा- कुरमापाली, आरएनएम- कोटरा, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़ (छ.ग) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री सुभाष अग्रवाल एवं श्रीमती उमा अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	iii) ₹ 383.90 ₹ 38.39 ₹ 0.50	
		iv) व्यावसायिक खुली भूमि - खसरा नंबर 279/1/M, 284/2, ग्राम- कुरमापाली, प.ह नंबर 18, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़, छत्तीसगढ, कुल क्षेत्रफल- 0.178 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती निशा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	iv) ₹ 37.62 ₹ 3.76 ₹ 0.25	
		v) फ्रीहोल्ड व्यावसायिक परिवर्तित खुली भूमि - खसरा नंबर 450/2/Kh, गाँव- कुरमापाली, प.ह नं 18, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़, छत्तीसगढ, कुल क्षेत्रफल- 0.077 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती निशा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	v) ₹ 16.25 ₹ 1.62 ₹ 0.25	
		vi) फ्रीहोल्ड व्यावसायिक परिवर्तित (गोडाउन) भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 275/2, 275/3, 275/4, 279/1/T, 285/1, 290/8, गाँव- कुरमापाली, प.ह नं 18, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़, छत्तीसगढ, कुल क्षेत्रफल- 0.536 हेक्टेयर (57695.00 वर्गफीट) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती निशा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	vi) ₹ 154.38 ₹ 15.43 ₹ 0.50	
		vii) इंडस्ट्रियल खुला प्लॉट- खसरा नंबर 450/1, गाँव- कुरमापाली, प.ह नं 18, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़, छत्तीसगढ, कुल क्षेत्रफल- 0.085 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- मेसर्स मां दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट्स। (सांकेतिक कब्जा)	vii) ₹ 17.95 ₹ 1.79 ₹ 0.25	
		viii) फ्रीहोल्ड इंडस्ट्रियल परिवर्तित प्लॉट (वेयर हाउस)- खसरा नंबर 291/1/Kh, 290/6/k, 290/7, 290/6/Kh, कुल खसरा - 4, गाँव- कुरमापाली, प.ह नं 18, आरएनएम- किरोड़ीमल नगर, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़, छत्तीसगढ, कुल क्षेत्रफल- 0.437 हेक्टेयर (47037.00 वर्गफीट) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- मेसर्स मां दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट्स। (सांकेतिक कब्जा)	viii) ₹ 216.10 ₹ 21.61 ₹ 0.50	
		ix) प्लांट और मशीनरी- खसरा नंबर 272/2k, 274/1, 274/2, 274/3, 279/1/th/1, 279/1/th/2, 279/1/d, 279/1/th/3, 285/5, 290/2, 290/3, 290/4, 304/1, प.ह नंबर 18, मौज़ा- कुरमापाली, आरएनएम- कोटरा, तहसील एवं ज़िला- रायगढ़ (छ.ग), मालिकाना हक - श्री सुभाष अग्रवाल एवं श्रीमती उमा अग्रवाल। (सांकेतिक कब्जा)	ix) ₹ 187.76 ₹ 18.77 ₹ 0.50	
02	एआरबी (रायपुर) शाखा:- उधारकर्ता- मेसर्स गुरसुख एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, प्रोप.: सुश्री पायल शर्मा	परिवर्तित पोल्ट्री फार्म भूमि, शेड्स एवं स्ट्रक्चर - खसरा नं 46/5, प.ह नं. 15, भिंभोरी, तिल्दा रोड के पास, तहसील एवं जिला - रायपुर, क्षेत्रफल - 39288 वर्गफुट, मालिकाना हक- सुश्री पायल शर्मा पिता श्री नारायण शर्मा। सीमाएँ: -उत्तर - राम सिंह का प्लॉट, दक्षिण - विक्रेता भूमि, पूर्व - सड़क, पश्चिम - मंत्रम का प्लॉट। (भौतिक कब्जा)	₹ 75.00 ₹ 7.50 ₹ 0.25	अ) 31.07.2024 ब) 01.10.2024 स) ₹ 320.28 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
03	व्यापार विहार शाखा:- उधारकर्ता- श्री शुभाशीष कुमार मित्रा	आवासीय फ्लैट- फ्लैट नंबर एल-204, प.ह नंबर 22/36/29, साकेत अपार्टमेंट, बोधिसत्व ब्लॉक, अग्रसेन चौक के पास, जूना बिलासपुर, खसरा नं. 622/5 (भाग), प्लॉट नंबर 272/1, तहसील एवं जिला-बिलासपुर, क्षेत्रफल- 1350 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री सुभाशीष कुमार मित्रा। सीमाएँ:- उत्तर : कॉलोनी रोड, दक्षिण : सेट बैक, पूर्व : सेट बैक, पश्चिम: फ्लैट नं. एल-203. (सांकेतिक कब्ज़ा)	₹ 44.86 ₹ 4.48 ₹ 0.25	अ) 18.09.2025 ब) 09.12.2025 स) ₹ 24.84 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
04	भिलाई शाखा:- उधारकर्ता- श्री राजीव कुमार काटझोरी पिता श्री राम सिंह	फ्लैट - फ्लैट नंबर 48, ब्लॉक नंबर ई-5 (छठी मंजिल), चौहान हाउसिंग (चौहान ग्रीन वैली), खसरा नं 195, 216/1 एवं 226 का भाग, मौजा-जुनवानी एवं खमरिया, भिलाई, तहसील एवं जिला-दुर्ग, क्षेत्रफल- 501.99 वर्गफीट पर स्थित सामयिक बंधक संपत्ति, मालिकाना हक - श्री राजीव कुमार कटझोरी । सीमाएँ:- उत्तर : आसमान की ओर खुला, दक्षिण : मार्ग एवं लिफ्ट, पूर्व: आसमान के लिए खुला, पश्चिम: फ्लैट नंबर ई-47 . (सांकेतिक कब्ज़ा)	₹ 13.50 ₹ 1.35 ₹ 0.25	अ) 29.11.2022 ब) 28.02.2023 स) ₹ 11.92 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
05	एआरबी (रायपुर) शाखा:- उधारकर्ता- मेसर्स महामाया वैक्सीन्स, प्रोप.- श्री फणीन्द्र मिश्रा पिता स्व. एम.सी. मिश्रा एवं जमानतदार- श्रीमती ज्योति मिश्रा पति श्री फणीन्द्र मिश्रा	आवासीय फ्लैट - फ्लैट नंबर 2/सी, दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 05, सिंगापुर सिटी, प.ह नंबर 103/37, रामकृष्ण परमहंस, वार्ड नंबर 02, मौजा - कोटा (महोबा बाजार) रायपुर(छ.ग), क्षेत्रफल - 861 वर्गफीट, मालिकाना हक -श्री फणीन्द्र मिश्रा। सीमाएँ :- उत्तर- खुला स्थान, दक्षिण - फ्लैट नंबर 2D1, पूर्व - खुला स्थान, पश्चिम - सामान्य मार्ग. (सांकेतिक कब्जा)	₹ 31.50 ₹ 3.15 ₹ 0.25	अ) 02.02.2024 ब) 13.08.2024 स) ₹ 207.74 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
06	अभनपुर शाखा:- उधारकर्ता- विनयकृष्णन नंदवर्धन यादव पिता जगदीश प्रसाद यादव	आवासीय संपत्ति - मकान नंबर अटल-165, खसरा नंबर 483 (भाग), प.ह नंबर 130/20, गटपार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत, मौजा-गटपार, आरएनएम-नवापारा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) में क्षेत्रफल- 560.00 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री विनयकृष्णन नंदवर्धन यादव। सीमाएं: उत्तर: मकान नंबर 148, दक्षिण: सड़क, पूर्व: मकान नंबर 164, पश्चिम: मकान नंबर 168. (सांकेतिक कब्ज़ा)	₹ 3.42 ₹ 0.34 ₹ 0.25	अ) 13.10.2021 ब) 20.01.2022 स) ₹ 3.07 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
07	रायगढ़ शाखा:- उधारकर्ता- श्री अरुण शर्मा पिता सोम वीर शर्मा, जमानतदार: श्री साधुराम शर्मा पिता श्री रतन लाल शर्मा	फ्रीहोल्ड आवासीय भूमि एवं भवन - खसरा नंबर 8/3/26 (9/8, 18/3, 19/2, (18/4, 19/1)/2), प्लॉट नंबर 38, ग्राम-बैकुंठपुर, गजानंदपुरम, प.ह नंबर 47, तहसील एवं जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में कुल क्षेत्रफल- 1664.00 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री सुधराम शर्मा पिता श्री रतन लाल शर्मा। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 37, दक्षिण: सड़क, पूर्व: प्लॉट नंबर 39, पश्चिम: सड़क। (सांकेतिक कब्ज़ा)	₹ 63.72 ₹ 6.37 ₹ 0.25	अ) 01.06.2026 ब) 12.08.2026 स) ₹ 37.83 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
07	एआरबी (रायपुर) शाखा:- उधारकर्ता- श्री हरिंदर प्रसाद यादव पिता श्री बनवारी प्रसाद, जमानतदार- श्री हीरालाल यादव पिता श्री हरिंदर प्रसाद यादव	परिवर्तित व्यावसायिक प्लॉट एवं भवन - खसरा नंबर 627/1, प.ह नंबर 14, ग्राम कैरपुर, तहसील एवं जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में क्षेत्रफल 0.364 हेक्टेयर पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री हीरालाल यादव पिता श्री हरिंदर प्रसाद यादव (जमानतदार) । सीमाएं:- उत्तर -सड़क, दक्षिण-अन्य का प्लॉट, पूर्व- मनोहर की भूमि, पश्चिम- श्याम दास का प्लॉट। (सांकेतिक कब्ज़ा)	₹ 189.60 ₹ 18.96 ₹ 0.50	अ) 01.07.2026 ब) 06.10.2026 स) ₹ 73.77 + ब्याज एवं अन्य खर्चे

ई- ऑक्शन की तारीख और समय-दिनांक : 26.11.2026, सुबह 11.00 से सायं 05.00 बजे, सीमा रहित 10 मिनट के अंतराल के एक्सटेंशन के साथ, प्रत्येक निरीक्षण की तारीख और समय - 29.10.2026 से 25.11.2026 सुबह 11.00 से दोपहर 03.00 बजे के बीच कार्यालयीन दिवस में।

नोटः-कोई भी बोलीकर्ता/ इच्छुक पक्ष प्लांट एवं मशीनरी के लिये बोली लगा सकता है, परंतु भूमि एवं भवन के लिये बोली लगाने हेतु, बोलीदाता को प्लांट और मशीनरी के लिये अनिवार्य बोली लगानी पड़ेगी क्योंकि किसी भी परिस्थिति में भूमि एवं भवन को स्वतंत्र रूप से बोली नहीं लगायी जा सकती।

उधारकर्ताओं/बंधक-कर्ताओं को 30 दिन का बकाया सूचना

उपरोक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को यह सूचित किया जाता है की सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को मय ब्याज एव खर्चो के नीलामी से पूर्व जमा करवा दें अन्यथा बंधक रखी संपत्ति की नीलामी ऊपर दर्शायी गई दिनांक को कर दी जावेगी, उसके पश्चात शेष राशि के लिए अलग से वसूली की जावेगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - एआरबी (रायपुर) शाखा: सूरज कुमार - 7717741309, अभनपुर शाखा- नंदिनी सत्पथी, 9575145356, व्यापार विहार शाखा- आशीष सिंह, 8109866253, भिलाई शाखा- जय प्रकाश तिवारी, 9918000819, रायगढ़ शाखा- जितेंद्र देवांगन, 7000711103, ई.एम.डी. भुगतान तथा तकनीकी जानकारी के लिए जोनल अधिकारी – श्री विजय टेटे, मो. 6261522560.

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें: 1. नीलामी बिक्री / बोली, वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। 2. बोलीकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट https://baanknet.com में जा कर "Guidelines" देख सकते हैं। 3. बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। 4. सर्वाधिक / सफल बोलीकर्ता का विक्रय के सम्बंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद बोली/क्रय मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि में पहले से जमा बयाना राशि घटाकर शेष बची राशि अगले कार्य दिवस में जमा कराना होगा। अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। 5. क्रयमूल्य कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री कि पुष्टि करने से 15 दिन या उससे पहले अथवा उस बढ़ाई हुई अवधि के भीतर शेष राशि जमा नहीं करा पाने कि दशा में जमा राशि को जब्तकर लिया जायेगा एवं अधिकृत अधिकारी बैंक नीलामी को रद्द कर नये सिरे से नीलामी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। 6. अधिकृत / सफल बोलीकर्ता की दशा में बयानाराशि का क्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा एवं असफल बोलीकर्ताओं baanknet के द्वारा वापस कर दिया जायेगा। बयाना राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। 7. सम्पत्ति का जैसा है, जहाँ है एवं बिना किसी सहारे के आधार पर बेचा जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं नीलामी में शामिल होने में पूर्व सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का देय आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त करें। 8. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास स्व-विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने / टालने रद्द करने अथवा बिक्री की नियम व शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। 9. सम्पत्ति के क्रेता को सरकार को देय सभी वैधानिक देयक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी वर्तमान एवं भविष्य के कर, दर व देयक वहन करना होगा। 10. देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों को छोड़कर है। 11. इस नीलामी से संबंधित किसी भी तरह का संशोधन/त्रुटि सुधार/शुद्धिपत्र भविष्य में अखबार के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा कृपया इच्छुक नियमित रूप से ऊपर दी गई वेबसाईट से संज्ञान लेवें। 12. इस नीलामी की प्रक्रिया बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी नहीं बोली लगा सकते। 13. इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई डी-व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई.डी. अंतिम तिथि से पूर्व ही बना लें। 14. एक बोली लगाने वाला (बोलीकर्ता) होने की स्थिति में बोली फॉर्म में उद्धत बोली राशि में न्यूनतम एक बोली वृद्धि मूल्य की बढोत्तरी करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त / स्थगित किया जायेगा।

किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में इस ई-नीलामी जो कि दिनांक 17.10.2026, सेंट्रल क्रॉनिकल का अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनांक : 17.10.2026, स्थान : रायपुर — अधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया